न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः—03/2012

1— गिर्राज पुत्र श्री दौजी उम्र 62 वर्ष
2— देवीसिंह उम्र 65 वर्ष } पुत्रान गुट्टी
3— रामजीलाल उम्र 67 वर्ष
4— चैनसिंह } पुत्रान हेतीसिंह
5— रज्जो

जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... प्रार्थीयान

बनाम

1— रामदेई पत्नी स्व0 सवरसिंह
2— गोरधन
3— ऊदलसिंह
4— शशिलता पुत्री स्व0 सवरसिंह
5— आवंटन सलाहाकार समिति नदबई द्वारा एस.डी.ओ भरतपुर तत्कालीन अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीयान

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. कृषि प्रायोजनार्थ आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1985 उप जिला कलक्टर भरतपुर

आदेश

दिनांक 26.06.2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. कृषि प्रायोजनार्थ आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1985 उप जिला कलक्टर भरतपुर बाबत आराजी खसरा नं0 339/1.87 हाक नम्बर 422/0.34 ग्राम झारकई तहसील नदबई की इस आश्य का पेश किया है कि अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा आराजी साविक खसरा नम्बर 339/1.07 क्वि. वाके झारकाई तहसील नदबई का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 सवरसिंह को दिनांक 15.06.1985 को किया गया जो कतई गलत है और नियम विरूद्ध है।

आराजी खसरा नं0 339/1.07 मिन हाल खसरा नं0 422/0.39 वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई आवेदकगण की पुश्तैनी खेवट व खुदकाश्त की आराजी रही है। जिस पर जमीदारी व विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदकगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ अधिकारी ने आवेदकगण की खातेदारी की भूमि को आवंटन करने में भारी त्रुटि की है। विवादित आराजी आवंटन से पूर्व शामलात देह की आराजी रही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जमाबंदी संवत 2045–2048 में सरकारी जमीन पुरातन पडत व बंजर दर्ज रही है। कथित आवंटी स्व0 सवरसिंह को कथित आवंटन के तहत विवादित आराजी के किसी थान पर कोई कब्जा कानूनन नहीं रहा है। यह आराजी खाली (पड़त) पडी रही है जिसमें होकर ग्राम वासियान का खेतों में जाने के लिए भी रास्ता रहा है। अब उस रास्ते के स्थान पर 20 फुट चौडी सड़क नरेगा स्कीम के तहत निर्मित हो चुकी है। इस प्रकार कथित आवंटन की शर्तों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवंटन आदेश निरस्तनीय है। सड़क निकल जाने के बाद दक्षिण दिशा में शेष रही आराजी आवेदकगण की खातेदारी के अन्य रकवे में मिली हुई है। जो कि काफी अरसे से आवेदक के कब्जे में चली आ रही है। परिवादी हल्का की हाल ही में की गई रिपोर्ट पैमाईश में भी इस आराजी खण्ड को आवेदकगण के कब्जे तहत में होना पाया है । तहसीलदार नदबई ने विवादित आराजी पर कथित आराजी आवंटन के आधार पर हुए गैर खातेदारी के इन्द्राज को खातेदारी में तब्दील करते हुए नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 06.10.2010 को स्वीकार कर दिया था जिसको बाद में स्वयं तहसीलदार द्वारा गलत होने व आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने से रिव्यू कर खारिज करने का आदेश दिया है। इस प्रकार कथित आवंटन शर्तों की पूर्ति नहीं होने के कारण निरस्तनीय है।

आवंटन करने से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति ने कोई अनाधिकृत भूमियों की सूची नहीं बनाई है। विधिवत कोई जानकारी नहीं की गई। और नहीं भूमिहीन कृषकों से कोई आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए। सभी कार्यवाही नियम विरूद्ध की गई। आवटंन सलाहकार समिति ने भूमि आवंटन के नियम 5,6,7 व 10,11,12 की कोई विशिष्ट रूप से पालना नहीं की है, जबकि नियमों की पालना करना बाध्यकारी रहा है। सिवायचक बजड भूमि का नियम 4 राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के तहत वर्जित किया हुआ है इसलिए इस आवंटन के आधार पर उक्त सवर सिंह के हक में किये गए गैर खातेदारी /खातेदारी के इन्द्राज थी आरम्भ से ही शून्य व निरस्तनीय है।

अन्त में प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश आवंटन आदेश आवंटन (अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति) दिनांक 15.06.1985 निरस्त किया जाकर जावे तथा आराजी का आवेदकगण के हक में नियमन किया जावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर तहत पत्रावली तहत को तलब किया गया जो संलग्न मिसिल है। दिनांक 18.10.17 को प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41–नियम 27 सीपीसी हुई जो दिनांक 7.7.2018 को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज की गहनता से अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार है–

प्रार्थीगण का कथन है कि वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई स्थित गत आराजी खसरा नम्बर 339 मिन रकवा 01 बीघा का बिस्वा हाल खसरा नम्बर 422/0.34 प्रार्थीगण की पुश्तैनी सेवर व खुदकाश्त की आराजी रही है। जिस पर जमीदारी व काश्तकारी उन्मूलन अधिनियम प्रावधानों के अनुसार प्राथीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। जमाबंदी संवत 2045–2048 में सरकारी जमीन पुरातन पड़त व बंजर दर्ज रही है। कथित आराजी स्व0 सवरसिंह का कथित आवंटन के तहत विवादित आराजी के किसी थान पर कभी कोई कब्जा कानूनन नहीं रहा है। यह आराजी खाली (पडत) पडी रही है जिसमें होकर ग्रामवासियों का खेतों में जाने के लिए रास्ता रहा है। अब उस रास्ता के स्थान पर 20 फुट चौडी सडक नरेगा स्कीम के तहत निर्मित हो चुकी है। आवंटन की शर्तों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवंटन निरस्तनीय है। सड़क निकल जाने के बाद दक्षिण दिशा में शेष रही आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी के उच रकवे में मिली हुई है जो कि काफी समय से प्रार्थीगण के कब्जे में चली आ रही है। पटवारी हल्का की पैमाईश रिपोर्ट में थी इस आराजी खण्ड को प्रार्थीगण के कब्जे में होना बताया है। सिवाय चक बजट भूमि का नियम 4 राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन वर्जित किया हुआ है।

इसलिए इस आवंटन के आधार पर उक्त सवरसिंह के हक में किए गए गैर (खातेदारी) खातेदारी के इन्द्राज थी। आरम्भ से ही शून्य व निरस्तनीय है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1985 निरस्त किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण का कथन है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता । लम्बे समय के बाद आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। उक्त अपील आवंटन आदेश 15.06.85 के विरूद्ध करीब 27 साल बाद प्रस्तुत की गई है। जो व्यक्ति आवंटन आदेश से प्रभावित नहीं है वह व्यक्ति आवंटन आदेश के विरूद्ध अपीन नहीं कर सकता है। उक्त अपील आवंटन आदेश से प्रभावित नहीं है। सिवायचक रकवे का आवंटन अप्रार्थीगण पिता को हुआ था। जिससे प्रार्थीगण के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 25.06.1913 के द्वारा विवादित आराजी कब्जा अपीलांट का माना है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

सरकारी जमीन पडत व बजड हालांकि विवादित आराजी सरकारी जमीन पडत व बजड दर्ज है। जिसका दिनांक 15.06.1985 को सवर सिंह के हक में आवंटन हुआ है। तत्पश्चात आवंटन के आधार पर सवरसिंह के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 06.10.2010 को गैर खातेदार के रूप में स्वीकार किया गया । मौके पर आवंटी का कोई कब्जा नहीं है। इसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2017 से होती है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जमाबन्दी संवत 2045–2048 की रोटेशन जमाबन्दी में आवंटी सवरसिंह का गैर खातेदारी का गैर आवंटी होने का लगा हुआ है। जबकि मुताबिक खसरा गिरदावरी 2045–2048,2049–2052, 2053–2056, 2057–2060 के अनुसार 16 वर्ष तक कोई काश्त दर्ज नहीं है। पूर्व में यहां पर सिंचाई विभाग का नरूआ था किन्तु नरेगा सडक होने से नरूआ अब नहीं है।

उक्त खसरा नं0 422 में से कुछ रकवा जी.एस.एस में थी। कार्य आ चुका है। शेष रकवा रास्ते के काम आ रहा है। सवर सिंह के वारिस का अलांटमेंट के बाद से अब तक कोई कब्जा नहीं रहा है न ही रकवा काश्त हुआ है। उक्त रकवा का आवंटन निरस्त योग्य है।

चूंकि आवंटी का मौके पर कभी न तो कब्जा रहा और नहीं उनके द्वारा कभी आराजी पर काश्त की है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पूर्ति नहीं की गई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत नियम 14(4) राज्य कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आदेश आवंटन अध्यक्ष (आवंटन सलाहकार समिति एस.डी.ओ) भरतपुर दिनांक 15.06.89 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. आरूषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official